सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

विविध प्रार्थना पत्र सं0 05/2018

1. मुकेश कुमार पुत्र सोहनलाल जाति अरोडा (नागपाल) निवासी श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
2. प्रवेश कुमार पुत्र श्री सोहनलाल जाति अरोडा (वधवा) निवासी श्री विजयनगर जिला श्रीगंगानगर
3. अमरीक सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति सिख निवासी चक 29 जी.बी.ए. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

राजस्थान सरकार

उपस्थित :

1. श्री तेजासिंह, अधिवक्ता, प्रार्थी सख्या 03
2. श्री मोहनलाल छाबडा अधिवक्ता सख्या 01–02
3. राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश **दिनांक : 11.06.2018**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 प्रस्तुत किया ग है, जिसके तथ्य सक्षेंप में इस प्रकार हैं कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक .04.2003 को निर्णय पारित कर भूमिधारी की 248 बीघा 3 बिस्वा भूमि धेग्रहण करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा राजस्व डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें दिनांक 30.01.2014 को ालतवाला का अधिग्रहण का आदेश निरस्त कर जो पूर्व में 17.10.2013 के र्णय के अनुसरण में निर्णय करने के लिए आदेश दिया है जिसकी पालना में प्रार्थी धारा 144 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जा वापिस प्रार्थी को देकर इंतकाल अपने नाम से करवाने के लिए आवेदन पत्र दे रहा है। आज के दिन विवादग्रस्त भूमि रकबा राज नहीं है इसलिए न्यायहित में भूमि का कब्जा वापिस दिया जाना इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। चक 29 जीबीए मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 8,9,12,13,18,19 किला नम्बर 24 में .013 व 25 में 0.012 हैक्टर उपरोक्त भूमि प्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज है जिसका इन्तकाल प्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज होने से रह गया है। प्रवेश कुमार प्रार्थी सख्या 02 की मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 1,10 में 0.126 व 2,3 कुल 0.885 हैक्टेयर वाके चक 29 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर एवं मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 20 से 23 व किला नम्बर 24 में 0.012, किला नम्बर 25 में 0.13 तादादी कुल 1.037 हैक्टर वाके चक 29 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर एवं अमरीक सिंह प्रार्थी संख्या 03 की मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 4,5,6,7,14,15,16,17 कुल 8 बीघा भूमि है एवंम मु.न. 37 की 1.265 हैक्टर नहरी में से 1.240 हैक्टर नहरी व 0.025 हैक्टर खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी संख्या 02 द्वारा कुछ खरीदशुदा भूमि का ईन्तकाल ना हो पाने के कारण भूमि प्रार्थी संख्या 03 के नाम से राजस्व

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी सख्या 03 के द्वाराजो बेचान मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 10 में 0.127 ,11 सालम कुल 0.380 हैक्टर का प्रार्थी सख्या 1 को किया है उस पर कब्जा अधिपत्य प्रार्थी सख्या 1 का है इसमें प्रार्थी सख्या 03 को कोई ऐतराज नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 03 का नाम डिलीट कर प्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकन कर दिया जावे। कानूनन न्यायालय का आदेश राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपास्त हो जाने की स्थिति में पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर न्याय की दृष्टि से प्रार्थी संख्या 1,2 व 3 के नाम से राज्य सरकार का नाम राजस्व रिकार्ड में डिलीट कर खातेदारी का अंकन किया जाना उचित एवं विधिसम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी स्वीकार कर चक 29 जीबीए के मुरब्बा नम्बर 41 की उक्त वर्णित रकबा राजस्व रिकॉर्ड में राज्य सरकार का नाम डिलीट कर प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करनेके आदेश सम्बन्धित तहसीलदार को दिये जावें।

प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। राजकीय अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र की प्रति दिलवाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर भूमिधारी की 248 बीघा 3 बिस्वा भूमि अधिग्रहण करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की थी। जिसमें दिनांक 30.01.2014 को अदालतवाला का अधिग्रहण का आदेश निरस्त कर जो पूर्व में 17.10.2013 के निर्णय के अनुसरण में निर्णय करने के लिए आदेश दिया है जिसकी पालना में प्रार्थी धारा 144 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जा वापिस प्रार्थी को देकर इंतकाल अपने नाम से करवाने के लिए आवेदन पत्र दे रहा है। आज के दिन विवादग्रस्त भूमि रकबा राज नहीं है इसलिए न्यायहित में भूमि का कब्जा वापिस दिया जाना इन्साफ की दृष्टि से आवश्यक है। चक 29 जीबीए मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 8,9,12,13,18,19 किला नम्बर 24 में .013 व 25 में 0.380 हैक्टर उपरोक्त भूमि प्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज है जिसका इन्तकाल प्रार्थी संख्या 01 के नाम से दर्ज होने से रह गया है। प्रवेश कुमार प्रार्थी सख्या 02 की मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 1,10 में 0.126 व 2,3 कुल 0.885 हैक्टेयर वाके चक 29 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर एवं मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 20 से 23 व किला नम्बर 24 में 0.012, किला नम्बर 25 में 0.13 तादादी कुल 1.037 हैक्टर वाके चक 29 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर एवं अमरीक सिंह प्रार्थी संख्या 03 की मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 4,5,6,7,14,15,16,17 कुल 8 बीघा भूमि है एवंम मु.न. 37 की 1.265 हैक्टर नहरी में से 1.240 हैक्टर नहरी व 0.025 हैक्टर खाला राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। प्रार्थी संख्या 02 द्वारा कुछ खरीदशुदा भूमि का ईन्तकाल ना हो पाने के कारण भूमि प्रार्थी संख्या 03 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी सख्या 03 के द्वाराजो बेचान मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 10 में 0.127 ,11 सालम कुल 0.380 हैक्टर का प्रार्थी सख्या 1 को किया है उस पर कब्जा अधिपत्य प्रार्थी सख्या 1 का है इसमें प्रार्थी सख्या 03 को कोई ऐतराज नहीं है कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी संख्या 03 का नाम डिलीट कर प्रार्थी संख्या 1 के नाम से अंकन कर दिया जावे। कानूनन न्यायालय का आदेश राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अपास्त हो जाने की स्थिति में पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर न्याय की दृष्टि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

से प्रार्थी संख्या 1,2 व 3 के नाम से राज्य सरकार का नाम राजस्व रिकार्ड में डिलीट कर खातेदारी का अंकन किया जाना उचित एवं विधिसम्मत है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी स्वीकार कर चक 29 जीबीए के मुरब्बा नम्बर 41 की उक्त वर्णित रकबा राजस्व रिकॉर्ड में राज्य सरकार का नाम डिलीट कर प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करनेके आदेश सम्बन्धित तहसीलदार को दिये जावें।

1. आर.आर.डी. वर्ष 1989 पेज–104

SHRI C-S- GOYAL : MEMBER

Gopal Singh V. State of Raj-[50]

Civil Procedure Code, Section 144-Order dt. 17.05.1982 in ceiling proceedings for tasking over 'excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case , remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made –legal representatives of assessee proceeded against u/s 91excess land, set aside by Board on 3-6-83 and case , remanded- Meanwhile excess land taken over and allotments made –legal representatives of assessee proceeded against u/s 91 [3], Land Revenue Act and penalty, imposed-Held that With the setting aside of the Collector's order by Board , **Petitioners had become entitled to restitution and to be placed in same Position as obtaining before order dt. 17-05-82 –He could Not be treated as trespasser- Orders imposing penalty, quashed [Para-4]**

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.04.2003 निरस्त हो चुका है, जिसके द्वारा प्रश्नगत भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया गया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 06.06.2006 के विधिक परीक्षण के उपरांत रिट दायर करने के लिए तहसीलदार श्री विजयनगर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसलिए स्टेट के हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित होने वाले भावी निर्णय के अध्यधीन इस आदेश को रखा जाना चाहिये। इस प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी0पी0सी0 को स्वीकार करने में राजकीय अधिवक्ता द्वारा कोई आपति जाहिर नहीं की गई है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि सीलिंग प्रकरण सं0 03/1998 अनवान सरकार बनाम माधुरी वगैरा में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.04.2003 को निर्णय पारित कर चक 29 जीबीए मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 8,9,12,13,18,19 किला नम्बर 24 में .013 व 25 में 0.380 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 1,10 में 0.126 व 2,3 कुल 0.885 हैक्टेयर वाके चक 29 जी.बी. तहसील श्रीविजयनगर एवं मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 20 से 23 व किला नम्बर 24 में 0.012, किला नम्बर 25 में 0.13 तादादी कुल 1.037 एवंम मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 4,5,6,7,14,15,16,17 कुल 8 बीघा भूमि एवंम मु. न. 37 की 1.265 हैक्टर नहरी में से 1.240 हैक्टर नहरी व 0.025 हैक्टर खाला सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुए अधिग्रहण के आदेश दिये गये थे। इस आदेश

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीविजयनगर

की पालना में कब्जा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीविजयनगर दिनांक 28.04.2003 के कम में कब्जा लिया गया जिसका इन्तकाल सख्या 166 दिनांक 28.04.2003 पत्थर नम्बर 186/416 मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 8,9,12,13,18,19 किला नम्बर 24 में .013 व 25 में 0.012 हैक्टर, न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 28. 04.2003 को आराजी राज स्वीकृत किया गया एवंम इन्तकाल नम्बर 164 दिनांक 29.04.2003 मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 20 से 23 व किला नम्बर 24 में 0. 012, किला नम्बर 25 में 0.13 तादादी कुल 1.037 एवंम मुरब्बा नम्बर 41 का 3. 037 हैक्टर में से 3.108 हैक्टर नहरी एवं .225 हैक्टर खाला एवंम पत्थर नम्बर 182/412 मुरब्बा नम्बर 37 की 1.265 हैक्टर में से 1.240 हैक्टर नहरी व 0.025 हैक्टर खाला न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 29.04.2003 को आराजी राज स्वीकृत किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.04.2003 को **प्रार्थीगण मुकेश कुमार पुत्र सोहनलाल , प्रवेश कुमार पुत्र सोहनलाल एवंम अमरीक सिंह पुत्र बलवन्त सिंह** द्वारा माननीय राजस्व मण्डल , अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.01.2014 से अपील स्वीकार करते हुए पूर्व अपील निर्णय दिनांक 17.10.2013 अनुसार किया जाना उचित समझते हुये मण्डल के पूर्व निर्णय की रोशनी में हस्तगत अपील स्वीकार करते हुये अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मण्डल की एकल पीठ द्वारा अपील/ सीलिंग संख्या 2048/2013/श्रीगंगानगर में पारित निर्णय दिनांक 17.10.2013 में दिये निर्देशानुसार हस्तगत प्रकरण का निस्तारण करें। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 17.10.2013 द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक दिनांक 21.04.2003 निरस्त करते हुए प्रकरण इसस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान कर उपरोक्त हस्तान्तरण सदभावी है अथवा नहीं एवं सीलिंग प्रावधानो के अनुसार मान्यता प्रदान किये जाने योग्य है अथवा नहीं , इसकी विस्तृत जांच कर तथा राज्य सरकार भूमिधारी एवं ट्रान्सफरीज को सुनकर स्पष्ट निर्णय पारित करें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 17.10.2013 एवं 30.01.2014 पर कोई स्थगन हो, ऐसा कोई अभिलेख पत्रावली पर नहीं है। चूँकि माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर का अपील में निर्णय प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि इस न्यायालय का आदेश/निर्णय निरस्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन अभिलेख पर नहीं है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी निर्णय की पालना किये जाने में कोई आपति जाहिर नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अ0 धारा 144 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा मुताबिक इन्तकाल सख्या 166 दिनांक 28.04.2003 पत्थर नम्बर 186/416 मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 8,9,12,13,18,19 किला नम्बर 24 में .013 व 25 में 0.012 हैक्टर, न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 28. 04.2003 को आराजी राज स्वीकृत किया गया एवंम इन्तकाल नम्बर 164 दिनांक 29.04.2003 मुरब्बा नम्बर 41 का किला नम्बर 20 से 23 व किला नम्बर 24 में 0. 012, किला नम्बर 25 में 0.13 तादादी कुल 1.037 एवंम मुरब्बा नम्बर 41 का 3.037 हैक्टर में से 3.108 हैक्टर नहरी एवं .225 हैक्टर खाला एवंम पत्थर नम्बर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

182/412 मुरब्बा नम्बर 37 की 1.265 हैक्टर में से 1.240 हैक्टर नहरी व 0.025 हैक्टर खाला न्यायालय के निर्णय की पालना में आदेश दिनांक 21.04.2003 द्वारा बहक सरकार कब्जा जिससे लिया गया था, का राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद, उनके पक्ष में करते हुए वापस कब्जा सुपुर्दगी का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय में विचाराधीन मूल सीलिंग रिमाण्ड प्रकरण 03/2006 में पारित होने वाले भावी आदेश के अध्यधीन रहेगा। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार, श्री विजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 11.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/6/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।